न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 29/2026

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2026/68

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.आसुराम पुत्र डूंगरराम 2.विनय पुत्र भंवरलाल जाति सुथार निवासी रबारियों का टांका बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 3.सोहनलाल पुत्र डायाराम जाति सुथार निवासी जसोल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.अन्तरादेवी पत्नि लालचंद 2.मोहनलाल पुत्र लालचंद 3.सोहनलाल पुत्र लालचद जाति पुरोहित निवासी मूगड़ा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 4.छगना पुत्र हकीया जाति भील निवासी रामसीन तहसील पचपदरा 5.तुलछा पुत्र हकीया जाति भील निवासी रामसीन तहसील पचपदरा 6.देवाराम पुत्र नरसिंगा जाति भील निवासी रामसीन तहसील पचपदरा 7.प्रमोदकुमार पुत्र तुलसाराम जाति भील निवासी छोटी भील बस्ती,चांदपोल जोधपुर 8.भट्टाराम पुत्र नरसिंगाराम 9.भभूताराम पुत्र लेखाराम 10.रामाराम पुत्र नरसिंगाराम 11.हवली पत्नि नरसिंगाराम जाति भील निवासी रामसीन तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 12.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.विप्रार्थी एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 29/04/2026

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मूगड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 786 क्षेत्रफल 1.0279 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1582/785 क्षेत्रफल 1.9506 हैक्ट्यर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मूगड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 786 क्षेत्रफल 1.0279 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1582/785 क्षेत्रफल 1.9506 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मूगड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 786 क्षेत्रफल 1.0279 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1582/785 क्षेत्रफल 1.9506 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हट्वाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मूगड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 786 क्षेत्रफल 1.0279 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1582/785 क्षेत्रफल 1.9506 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम मूगड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 786 क्षेत्रफल 1.0279 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1582/785 क्षेत्रफल 1.9506 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसारः-धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विशय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठनें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 12.12.2025 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद होना स्पष्ट है,ऐसी स्थिति में RLR ACT. की धारा 111 में निहित प्रावधानो के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मूगड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 786 क्षेत्रफल 1.0279 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1582/785 क्षेत्रफल 1.9506 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिए नोटिस/पत्र के जरिए सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अशोक कुमार) 29/04/2026
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 29.4.2026 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

29/04/2026
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा